लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/113/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 19.11.2020
GCMS NO:-2020/00373

मोहम्मद हनीफ पिता गनी मोहम्मद एन.टी.जी–40, आर.पी.एस. कॉलोनी, रावतभाटा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 15.12.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 113/2020/(15.12)/725 दिनांक 19.11.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा को दिनांक 15.12.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 15.12.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत किए।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 113/2020 (सू.अ.)
मो. हनीफ पिता गनी मोहम्मद निवासी रावतभाटा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.10.2020 से 2 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा की टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उनके स्तर पर इस आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(के. के. शर्मा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./113/2020(सू.अ.)/764 दिनांकः– 15/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
2. मोहम्मद हनीफ पिता श्री गनी मोहम्मद निवासी एन. टी. जी–40, वार्ड सं. 17, आर. पी. एस. कॉलोनी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)